Title: Need to provide ownership right to labourers living in labour Colonies in Kanpur under Industrial Subsidized Housing Scheme.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : महोदय, उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार की सहायता से वर्ा 1950 में इंडस्ट्रियल सब्साइड हाउसिंग स्कीम आईएसएल के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 30643 श्रमिक कालोनी आवासों का निर्माण कराया गया था। उक्त प्रकृति का निर्माण उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त उड़ीसा एवं दिल्ली में भी कराया गया था। इसी योजना के तहत कानपुर में भी लगभग 18000 श्रमिक आवासों का निर्माण कराया गया था। बाद में उपरोक्त आवासों को केन्द्र सरकार ने 50 प्रतिशत सब्सिडी देकर उत्तर प्रदेश सरकार को स्थानान्तरित कर दिया था। जिसकी देख-रेख उत्तर प्रदेश श्रम मंत्रालय के अधीन श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा की जाती है।

केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को श्रमिक आवासों को स्थानान्तरित करने के बाद वर्ा 1978 में सुझाव दिया गया था कि श्रमिक आवासों को निर्माण वर्ा में आयी लागत में 20 प्रतिशत की छूट देकर एकमुश्त या 15 वर्ाों की किश्तों में उसमें रहने वालों को उनका स्वामित्व दे दिया जाए। ज्ञात हो कि इस सुझाव पर अमल करते हुए दिल्ली में कर्मपुरा श्रमिक कालोनी के आवासों का स्वामित्व मूल्य लागत में 20 प्रतिशत की कटौती पर 4458 रुपए में एकमुश्त या 31-47 प्रतिमाह 15 वर्ाों की 5 प्रतिशत ब्याज में दे दिया गया एवं उडीसा में वसूले गए किराए को ही लागत मानते हुए फ्री आफ कास्ट में उनमें रहने वालों को दे दिया गया।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कानपुर में श्रमिकों को श्रमिक आवासों का स्वामित्व दिए जायें।